

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट एक

[8/3/2017]

16

प्रश्न सं. [क. 162]

मध्य प्रदेश शासन,

आदिम जाति क्षेत्र अनुसूचित जाति कल्याण विभाग,
मन्त्रालय

परिशिष्ट एक

समांक/प्रति. F 237/119/03/2017

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2003

1. आयुक्त,
आदिवासी विकास,
मध्य प्रदेश, भोपाल
2. संचालक,
आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं,
भोपाल

विषय :- अनुसूचित जनजाति बाहुल्य मजरे एवं टोलों का विद्युतीकरण, पंपों का ऊर्जाकरण एवं एक बत्ती कनेक्शन दिये जाने बाबत.

आदिवासी मजरे एवं टोलों के विद्युतीकरण, पंपों के ऊर्जाकरण तथा एक बत्ती कनेक्शन हेतु पूर्व में लिये गये निर्णयों के संदर्भ में आदिवासियों को त्वरित लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

1. आदिवासी मजरे एवं टोलों का विद्युतीकरण

अनुसूचित जनजाति मजरे एवं टोलों के विद्युतीकरण हेतु पूर्व में रुपये 1.00 लाख की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल द्वारा रुपये 1.00 लाख से अधिक व्यय होने के प्रस्ताव के आधार पर यह सीमा वास्तविक प्राक्कलन की राशि तक निर्धारित की जाती है।

2. अनुसूचित जनजाति के कृषकों के पंपों का ऊर्जाकरण

अनुसूचित जनजाति के कृषकों के कुओं के पंपों के ऊर्जाकरण हेतु पूर्व में रुपये 25,000/- की राशि निर्धारित थी। यह राशि वास्तविक प्राक्कलन की सीमा तक स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...2

3. विद्युतीकरण का लेखाजोखा

विद्युतीकरण हेतु आवंटन जिले के जिलाध्यक्ष को उपलब्ध कराया जाता है तथा कार्य मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल अधिका गठित समिति द्वारा कराया जाता है। इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के कार्यपालन सत्री विद्युतीकरण का पूर्ण विवरण आदिग जाति कल्याण विभाग के जिला अधिकारी को उपलब्ध करायेगे एवं आदिग जाति कल्याण विभाग के जिला अधिकारी विद्युतीकरण का पूर्ण लेखाजोखा रखेंगे।

4. भांतिक लक्ष्यों का निर्धारण

भांतिक लक्ष्यों का निर्धारण परियोजना स्तर पर परियोजना सलाहकार मण्डल एवं माडा तथा क्लस्टर के लिये प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित की जायेगी। परियोजना सलाहकार मण्डल एवं प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी विकास खण्डों के अविद्युतीकृत मजरे, टोलों एवं पंपों का ऊर्जाकरण हेतु शेष संख्या को ध्यान में रखते हुये लक्ष्य निर्धारित किये जाये।

5. 11 के.व्ही.लाइन की व्यवस्था

वर्तमान में 11 के.व्ही.लाइन हेतु प्रावधान नहीं होने से मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल ने आदिवासी मजरे एवं टोलों में विद्युतीकरण करने में कठिनाई व्यक्त की। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि 11 के.व्ही.लाइन की आवश्यकता होने पर प्रस्ताव अनुशंसा सहित संचालक, आदिग जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं को प्रेषित किये जाये।

6. हितग्राहियों का चयन

परियोजना क्षेत्र में परियोजना सलाहकार मण्डल एवं माडा तथा क्लस्टर में जिला योजना समिति की उप समिति तथा अनुसूचित जाति के हितग्राहियों के लिए प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा हितग्राहियों का चयन किया जायेगा।

आदिवासी मजरे एवं टोलों के विद्युतीकरण, पंपों के ऊर्जाकरण एवं एक बत्ती कनेक्शन हेतु उपरोक्तानुसार निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाये।

Prasad

(डॉ. गागीरथ प्रसाद)

प्रमुख सचिव,

मध्य प्रदेश शासन,

आदिग जाति तथा अनुसूचित जाति

कल्याण विभाग, भोपाल

True copy
07.05.11

all